न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 142 / 2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कमलसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.04.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल झांफलीकला के ग्राम नागणासर के खेत खसरा नम्बर 265 / 66 रकबा 32.0511 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	कमलसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत, सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव	नागणासर	265 / 66	15.2355	बा.दो.	–	लाल
2	देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत, सा. देह खातेदार	नागणासर	265 / 66	15.2356	बा.दो.	–	हरा
3	सामलाती खाता बदस्तुर जमाबंदी	नागणासर	265 / 66	1.5800	बा.दो.	–	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये [illegible] विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उ[illegible] विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)